न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 49 / 2019 (225 आरटीए) कल्याण वगै. बनाम जलील खां वगै.
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2019/00056)

1 कल्याण पुत्र श्रीनाथ मीना निवासी कटफला तहसील अकलेरा,
2 रमेशचन्द पुत्र धन्नालाल जाति मीना निवासी कटफला तहसील अकलेरा।

..... अपीलांट्स

बनाम

1 जलील खॉ पुत्र अकबर खॉ मुसलमान निवासी कटफला तहसील अकलेरा,
2 कविता पत्नि चन्द्रप्रकाश जाति मीना निवासी कटफला तहसील अकलेरा,
3 कुमकुम पुत्री चन्द्रप्रकाश आयु 5 साल नाबालिग जर्ये संरक्षक माता कविता पत्नि चन्द्रप्रकाश मीना निवासी कटफला तहसील अकलेरा,
4 आरती पुत्री चन्द्रप्रकाश आयु 3 साल नाबालिग जर्ये संरक्षक माता कविता पत्नि चन्द्रप्रकाश मीना निवासी कटफ़ला तहसील अकलेरा।

..... रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश तहसीलदार अकलेरा, दिनांक 30.07.2019 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 13 / 2015

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री इन्दरलाल गुप्ता।
2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय कुमार सक्सैना।
3 रेस्पो. सं. 2 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 20.02.2020

1 यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार अकलेरा के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 13 / 2015 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को केडोन करने का निवदेन किया।

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा के समक्ष 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 13 / 2015 वादीगण कल्याण, रमेश, कुमकुम व कविता द्वारा एक प्रा0पत्र न्यायालय

न्यायालय ए.डी.एम. झालावाड़ (राज.)

तहसीलदार अकलेरा में इस आशय का पेश किया था कि वादीगण के खाते जमाबंदी नं0 58 की 13 किता की 10.06 बीघा आराजी वादीगण के शामलाती खाते में स्थित है, उक्त आराजी में से 4.08 बीघा भूमि पर जलील खॉ रेस्पोडेन्ट ने जबरन कब्जा कर रखा है और वह उक्त आराजी से कब्जा नही हटा रहा है। उक्त आराजी अपीलान्ट ने 60000/–रू0 में जलील खॉ के पास रहन रखी थी जलील खॉ रहन का रूपया भी नही ले रहा है, और आराजी से कब्जा भी नही छोड़ रहा है अपीलान्ट अनुसूचित जनजाति मीणा जाति का सदस्य है और जलील खॉ अप्रार्थी मुस्लिम जाति का सदस्य होने से उसका कब्जा धारा 183 बी आरटीएक्ट के तहत अवैध होने से बेदखल होने योग्य है। रेस्पो0 अप्रार्थी जलील खॉ ने उक्त प्रा0पत्र का जवाब देते हुए उक्त आराजी पहले रहन रखना और बाद में बेचान लिखाया है और बेचान का 100/– का स्टाम्प पेश किया है अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षों की शाहदत लेकर अपीलान्ट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने कौशल्या पुत्री धन्ना और कंचन बेवा धन्ना सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया है तथा जलील खॉ का कब्जा पूर्व से मानकर प्रार्थना पत्र मियाद बाहर मानकर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय कानून संग्रहसार के विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट जलील खॉ द्वारा विक्रय पक्ष जो 100/–रू0 के स्टाम्प पर अपंजीकृत है के द्वारा किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होते हैं तथा आराजी अनुसूचित जन जाति की है जिसके बेचान पत्र का कोई पंजीयन भी नही हो सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रा0पत्र मियाद बाहर मानकर भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाकर रेस्पो0 को बेदखल कर अपीलान्ट को कब्जा दिलवाया जावे।

2 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री इन्दरलाल गुप्ता ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एव पत्रावली पर उपलब्ध संग्रहसार के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। कानूनन रहन व बेचान की स्थिति में कब्जा परमिसिव माना गया है परन्तु यह लॉ फुल नही माना गया है, ऐसे व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है इस संबंध में उनके द्वारा आर0आर0डी 1987 पेज नं0 250–253, आर0आर0डी0 2004 पेज पं0 35 से 40 आर0आर0टी0 2007(2) पेज 763–769 पेश की गई। उक्त विवादग्रस्त आराजी रेस्पो0 को विक्रय की गई ऐसा कोई रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज भी रेस्पो0 के पास नही है। अपीलान्टस अनुसचित जन जाति के व्यक्ति है जिसके अधिकारों की सुरक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। अतः अपील अन्दर मियाद मानी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.19 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्टस को उक्त आराजी पर कब्जा दिलवाया जाये।

4 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय कुमार सक्सैना बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी रेस्पो0 नं0 1 को यदि बेचान कर दी गई थी तो सरकार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 की कार्यवाही करनी चाहिये थी। 35 साल से अपीलान्टस का उक्त आराजी पर कब्जा नही होने से

खातेदारी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। उक्त आराजी पर रेस्पो0 नं0 1 का वर्ष 1980 से कब्जा है जिसकी जानकारी अपीलान्टस को थी इस बाबत हमारे द्वारा आरआरडी की प्रतियॉ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई गई थी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अतः इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टस का प्रा0पत्र अन्दर मियाद नहीं मानते हुवे निरस्त किया गया है, जो कानूनन सही है। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर मानते हुये खारिज की जावे या प्रकरण में 177 की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जावे।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा–5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। प्रकरण के तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मध्य नजर एवं रेस्पोडेंट द्वारा प्रा0पत्र का कोई जवाब या खण्डन में काउंटर शपथ पत्र पेश नही करने के कारण अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय पारित किया है कि खाता सं. 58 की 13 किता की 10.06 बीघा भूमि वादीगण तथा कौशल्या पुत्री धन्ना एवं कंचन बेवा धन्ना का शामिलाती में 1/2 भाग आराजी दर्ज है लेकिन वादीगण द्वारा कौशल्या व कंचन को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि सी.पी.सी. के आदेश 1 में स्पष्ट अंकित है कि सभी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। पत्रावली पर उपलब्ध फोटो प्रति स्टांप तहरीर दिनांक 5.6.1980 जिसमें आराजी को रहन रखने व प्रतिवादी को कब्जा दिया जाना अंकित है तथा 100/– के नॉन जुडिसियल स्टांप पर विक्रय पत्र अंकित किया हुआ है। यह स्टांप दिनांक 23.07.98 को लिखा गया है। इसमें आराजी 4.13 बीघा 60000 रु. में प्रतिवादी को बेचान की बात अंकित है यद्यपि यह दस्तावेज कानूनी परिपेक्ष्य में शून्य है और इस स्टांप से प्रतिवादी को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं होते हैं लेकिन स्टांप तहरीर प्रतिवादी का कब्जा वर्ष 1980 से होना व कब्जा स्वयं वादीगण द्वारा दिया जाना प्रमाणित होता है और धारा 183 में कब्जा प्राप्त करने की अवधि 12 वर्ष दर्शाई गई है। इस प्रकरण में वादीगण की जानकारी में होते हुए भी अवधि के मध्य वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वाद को अंदर मियाद मानकर वादीगण को कोई अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण में सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाने एवं वादीगण द्वारा अंदर मियाद वाद प्रस्तुत नहीं करने से दावा वादीगण खारिज किया जाता है।

8 उक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 बी राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 निम्न दो आधारों पर खारिज किया है। 1. सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। 2. दिनांक 05.6.1980 को स्टांप पर आराजी रहन रखने व दिनांक 23.07.98 को 100 रु. के नॉन जुडिसियल स्टांप पर बेचान अंकित होने से प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है।

उक्त संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2068–70 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार 13 किता की 10 बीघा 6 बिस्वा भूमि के खातेदार रमेशचंद पुत्र धन्ना कौशल्याबाई पुत्री धन्ना, कंचन बाई बेवा धन्ना, चंद्रप्रकाश

पुत्र धन्ना फोत के वारिसान कुमकुम, आरती पुत्रियां नाबालिग, कविता बेवा चंद्र प्रकाश 1/2 कल्याण पिता नाथू हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. देह खातेदार नामांतरकरण सं. 121 से कल्याण पुत्र नाथू का हिस्सा 1/2 हाड़ोती ग्रामीण बैंक शाखा थनावद के रहन नामांतरकरण सं. 207 से चंद्रप्रकाश, कौशल्या बाई व कंचनबाई का हिस्सा रहन बी.ओ.बी. अकलेरा।

प्रार्थी ने कविता पत्नी चंद्र प्रकाश, कुमकुम पुत्री चंद्र प्रकाश नाबालिग जरिए संरक्षक माता कविता व आरती पुत्री चंद्र प्रकाश नाबालिग जरिये संरक्षक माता कविता को पक्षकार बनाया है। शेष सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1987 पेज नं. 250–253 के पैरा 9 के अनुसार कोई भी सहखातेदार अन्य सहखातेदारों को पक्षकार बनाये बिना भी बेदखली का दावा ला सकता है। यदि न्यायालय को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि किसी सहखातेदार को पक्षकार बनाया जाना है तो न्यायालय भी सी.पी.सी. के आदेश 1 नियम 10(2) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी सहखातेदार को पक्षकार बनाने का आदेश दे सकता है। धारा 183 बी के प्रकरण में जहॉ संक्षिप्त कार्यवाही करके प्रार्थना पत्र के संबंध में निर्णय करना है व अनुसचित जन जाति के व्यक्ति की भूमि पर अतिक्रमी या अवैध कब्जे को हटाने के लिए त्वरित कार्यवाही करने के प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का इस बिन्दु पर निर्णय न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

दूसरा बिंदु प्रा0पत्र मियाद मियाद बाहर होने का है। इस संबंध में धारा 183 बी के लिये मियाद के प्रावधानों का अवलोकन किया गया। 183 बी में वाद हेतुक उत्पन्न होने की दिनांक से मियाद 12 वर्ष है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद हेतुक उत्पन्न होना दिनांक 05.06.1980 से माना है जब प्रथम स्टांप लिख कर कब्जा दिया था। लेकिन क्या यह वाद हेतुक है? इस संबंध में कोई फाइंडिंग नहीं दी है। जबकि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वाद हेतुक दिनांक 15.07.2015 को कब्जा छोड़ने से इन्कार करने के कारण उत्पन्न होना अंकित किया है।

प्रकरण में दोनों स्टांप का अवलोकन किया गया। पहला स्टांप रहन रखने के लिये दिनांक 05.06.1980 कल्याण, धन्ना पिसरान नाथूलाल मीणा निवासी कटफला ने जलील खां के पक्ष में लिखा था जिसमें यह अंकित था कि 1200 रु. मूल रकम चुकाने पर जमीन रहन से छुड़ा लेंगे लेकिन जमीन के खसरा नं. अंकित नहीं है। उसके बाद दूसरा स्टांप कल्याण पुत्र नाथू, रमेश पुत्र धन्ना, कौशल्या पुत्री धन्ना, कंचन बाई बेवा धन्ना जाति मीणा निवासी कटफला 100 रु. पर लिखा है कि 60,000 रु. में जलील खां बेटा अकबर जाति मुसलमान निवासी कटफला को खसरा नं. 93 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा खसरा नं. 100 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं. 101 की 18 बिस्वा, खसरा नं. 103 की 11 बिस्वा, खसरा नं. 104 की 7 बिस्वा कुल 4 बीघा 8 बिस्वा विक्रय कर हमारा स्वामी स्वामित्व हटाकर क्रेता को पूर्ण रूपेण स्वामी व अधिकारी बना दिया है। इस स्टांप में पूर्व की रहन रखी गई जमीन कब्जा जलील खां का पूर्व से होने का भी कोई विवरण अंकित नहीं हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का रहन रखने की दिनांक से कब्जा जलील खां का मानना किसी साक्ष्य पर

आधारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र को मियाद बाहर मानने की फाइंडिंग सही नहीं हैं। इसके अलावा अनरजिस्टर्ड डोकूमेंट यानी स्टांप 100 रु. पर लिखा गया है वह दिनांक 23.07.1998 का है। जिसकी कोई कानूनी वैद्यता भी नहीं है। इस अनरजिस्टर्ड डोकूमेंट के आधार पर भी कोई कानूनी अधिकार अनुसूचित जन जाति की भूमि पर रेस्पोडेंट सं. 1 को नहीं मिल सकते। अतः अनुसूचित जन जाति की भूमि पर बिना विधि पूर्ण अधिकार के कब्जा बनाये रखा है। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा किये जाने पर त्वरित कार्यवाही कर कब्जा दिलवाये जाने का प्रावधान है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिवता ने तर्क दिया है कि अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति ने बेचान कर दिया है तो भूमि पर धारा 177 के अंतर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए। इस संबंध में पत्रावली में संलग्न जमाबंदी से स्पष्ट है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के खातेदार के रूप में अपीलांट का नाम अन्य सहखातेदारान सहित दर्ज है जबकि अनरजिस्टर्ड डोकूमेंट को विक्रय पत्र के रूप में कानूनी मान्यता नहीं है। अतः इस प्रकरण में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण भी प्रथम दृष्टया बनना नहीं पाया जाता है। इस प्रकरण में तो स्वयं अनुसूचित जन जाति के खातेदार ने रेस्पोडेंट सं. 1 का अवैध कब्जा हटाये जाने के लिए धारा 183 बी के तहत आवेदन किया है व आवेदन खारिज होने पर पुनः इस न्यायालय में अपील की है। अतः रेस्पोडेंट सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा जो तर्क दिये हैं वे स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.07.2019 विधि विरुद्ध होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड योग्य पाया जाता है।

9 अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2019 निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार पुनः निर्णय पारित करें।

20/2/2020

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

10 निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/2/2020

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2020.02.25 17:12:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: